बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
आदेश

संख्या–4/क्षे०स्था० मुक० (अमीन)–05–09/2025–600(4)/रा०, पटना–15,दिनांक– 13/11/26

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस०एल०पी० (सिविल) सं०–2597/2023 अवधेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–06.10.2026 को पारित आदेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है :–

While we are not inclined to interfere with the impugned judgment/ order passed by the High Court, Liberty is granted to the petitioners to make a representation to the Government to consider them for any vacant post(s). The Government may consider the representations and take an appropriate decision within a month from the date of representation.

Accordingly, the Special Leave Petition along with intervention/ impleadment application(s) stands disposed of.

Pending application(s), if any, shall stand disposed of.

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित उक्त आदेश के आलोक में वादीगणों यथा :–अवधेश कुमार एवं अन्य का अभ्यावेदन दिनांक– 02.11.2026, अमरनाथ यादव एवं अन्य का अभ्यावेदन दिनांक–26.10.2026 एवं सुनीता कुमारी एवं अन्य का अभ्यावेदन दिनांक–02.11.2026 विभाग में प्राप्त हुए है। वादीगणों द्वारा निम्न माँगों पर विचार करने हेतु अनुरोध किया गया है :–

1. अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या–02/2019 में ऑनलाईन आवेदन समर्पित किये गये, परन्तु कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा (CBT) हेतु उन्हें नहीं बुलाया गया।

2. विज्ञापन संख्या–02/2019 के अन्तर्गत अमीन के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अनुरोध किया गया है।

वादीगणों के उपरोक्त अभ्यावेदन के माध्यम से उनके द्वारा रखे गये पक्ष की समीक्षा, प्रावधान एवं प्राधिकार का निर्णय निम्नवत् है :–

(i) बिहार अमीन संवर्ग नियमावली–2013 (समय–सयम पर यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत अमीन के कुल–1767 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना के माध्यम से विवरण पुस्तिका (विज्ञापन) प्रकाशित की गयी थी।

(ii) अमीन के पद पर नियुक्ति हेतु बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना द्वारा विज्ञाप्रन संख्या–02/2019 प्रकाशित किया गया। उक्त प्रकाशित विज्ञापन के कंडिका–2 (ऑन लाईन कम्प्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) हेतु चयन प्रक्रिया) में निम्न प्रावधान किये गये थे :–

अमीन के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों का लघुसूचीकरण (Short listing) अभ्यर्थियों के इंटरमीडिएट एवं समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों तथा राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों का उनके अनुभव के आधार पर विभाग/परीक्षा प्राधिकार के द्वारा किया जाएगा, जो कुल रिक्तियों के 10 गुणा से कम नहीं होगा। राज्य सरकार के अधीन अनुभव प्राप्त अमीनों को उनके अनुभव के लिए अंकों की गणना अपर समाहर्त्ता द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाएगा।

उक्त प्रावधान के आलोक में अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा (CBT) में शामिल होने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र जारी किये गये थे।

(iii) उक्त विज्ञापन के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी०डब्लू०जे०सी० सं०–2310/2020 रामबाबू आजाद एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–07.12.2021 को आदेश पारित किया गया, जिसमें प्रकाशित विज्ञापन व

विवरण पुस्तिका को निरस्त करते हुए बिहार अमीन संवर्ग नियमावली–2013 के तहत पुनः प्रक्रिया प्रारंभ करने का निदेश दिया गया था।

(iv) उपरोक्त पारित आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में राज्य सरकार द्वारा एल०पी०ए० संख्या–13/2022 दाखिल किया गया है, जिसमें दिनांक–20.12.2022 को आदेश पारित करते हुए सी०डब्लू०जे०सी० सं०–2310/2020 में दिनांक–07.12.2021 को पारित आदेश को निरस्त करते हुए रोकी गई चयन प्रक्रिया को प्रारंभ करने का निदेश दिया गया।

तदालोक में अमीन की कुल–1767 रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की गयी।

(v) बिहार अमीन संवर्ग नियमावली–2025, जिसकी अधिसूचना दिनांक–01.08.2025 को गजट में प्रकाशित की गयी है। उक्त नियमावली की कंडिका–17 में पूर्व में निर्गत बिहार अमीन संवर्ग नियमावली–2013 (समय–समय पर यथासंशोधित) को निरसित किया गया है।

(vi) चुंकि विज्ञापन संख्या–02/2019 के अन्तर्गत अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई बिहार अमीन संवर्ग नियमावली–2013 (समय–समय पर यथासंशोधित) में निहित प्रावधानों के तहत की गयी, परन्तु वर्तमान में बिहार अमीन संवर्ग नियमावली–2025 प्रभावी है, जिसके आलोक में अमीन के रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई की जा रही है।

(vii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–5029/54–3131–A, दिनांक–05.04.1955 में उल्लेखित है कि आयोग से प्राप्त अनुशंसा की वैधता अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से 01 वर्ष तक वैध मानी जाएगी। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक–16.07.2007 की कंडिका–16 में स्पष्ट प्रावधानित है कि "किसी उम्मीदवार या उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्दर योगदान नहीं देने या अन्य कारणों से रिक्तियाँ भरी नहीं जा सकने की स्थिति में ऐसी रिक्तियाँ अगली अधियाचना के लिए अग्रणीत की जायेगी।"

अतएव माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० (सिविल) सं०–2597/2023 अवधेश कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक–06.10.2026 को पारित आदेश के अनुपालन में वादीगणों के अभ्यावेदनों को अस्वीकृत करते हुए निष्पादित किया जाता है।

(जय सिंह)
सचिव।

ई–मेल

ज्ञापांक–4/क्षे०स्था० मुक० (अमीन)–05–09/2025-600(4)/रा०, पटना–15, दिनांक–13/11/26

प्रतिलिपि :–आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सभी संबंधित को आदेश की प्रति ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने एवं विभागीय वेब–साईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(जय सिंह)
सचिव